newspapers were looked into, and *prima facie* it was seen that no illegality was committed by L&T in the sale of these shares. The question of holding any CBI enquiry does not, therefore, arise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली जाने वाली ऋण की राशि की मात्रा

905. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली जाने वाली ऋण की राशि की मात्रा प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 और 1989-90 में ऋण की कितनी राशि बट्टे खाते डाली गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे उद्योगों को मजूर की गई ऋण की राशि में भी वृद्धि हो रही है जिन्हें रुग्ण घोषित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो 1989-90 के अंत में इस प्रकार के उद्योगों में ऋण की कितनी राशि फंसी हुई थी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों और बैंकरों में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार बैंक ऐसे अशोध्य और संदिग्ध ऋणों को प्रकट नहीं करते हैं जिनके लिए उनके लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था की गई हो तथा साथ ही अशोध्य ऋणों की बट्टे खाते डाली गई राशि को भी प्रकट नहीं करते ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन समेकित आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1988 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित बैंकों के बकाया ऋण की राशि 5528.30 करोड रुपए थी ।

Revision of pay scales of Assistants and UDCs

906. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have revised the pay scale of Assistants from Rs. 1400—2600 to *Rs 1640—2900*,

(b) if so, what are the details of the Ministries, departments and other organisations where the revised scale has been implemented;

(c) whether it is also a fact that Government are considering the case of revision of pay scale of Upper Division Clerks and grant them the pay scale of Rs 1400—2600 from Rs 1200—2040; and

(d) if so, what are the details thereof and by when a decision is likely to be taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH) (a) and (b) The pay scale of the Assistants in Ministries/Departments participating in the Central Secretariat Service Scheme has been revised *vide* Department of Personnel O.M No 2/1/90-CS IV dated 31-7-1990—copy enclosed. (*See* below As per the said O.M the revised scale of pay is also applicable to organisations like Ministry of External Affairs which are not participating in the C.S.S Scheme but where the posts are in comparable grades with same classification and pay scales and the method of recruitment through Open Competitive Examination is also the same.